9

2016/00171
रामदेवी/रामबाबू

5.7.2017 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत अटल सेवा केन्द्र ...करीमपुर...पर पेश हुई । सायला उपस्थित । गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं । सायला की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । वादिया द्वारा प्रस्तुत असल वयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि नेकराम पुत्रश्री बलभद्र जाति नाई निवासी ग्राम सरकना तहसील सैपऊ द्वारा विवादित आराजी नम्बर 423 व 424 वाके ग्राम सरकना तहसील सैपऊ में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 जरिये वयनामा वादिया को विक्रय कर कब्जा सोंप दिया है । सायला विवादित आराजी का सद्भावी केता है और उचित प्रतिफल देकर विक्रेता नेकराम से विवादित आराजी का हिस्सा 1/6 कय किया है इसलिए स्वंय को नेकराम के स्थान पर खातेदार दर्ज कराने तथा विक्रेता नेकराम के हिस्से अनुसार विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है । प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा संतुलन सायला के पक्ष में प्रतीत होता है तथा कय की गई भूमि से सायला को बेदखल किये जाने पर सायला को अपूर्तनीय क्षति होना भी संभावित है । ऐसी स्थिति में सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना सायला विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है । गैरसायलान को ताफैसला मूल वाद तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी नम्बर 423 व 424 वाके ग्राम सरकना तहसील सैपऊ में से सायला को हिस्सा 1/6 तक बेदखल ना करें तथा उसके कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें और मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ